

तारीख  
डकम

डकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26<sup>11</sup>/<sub>21</sub>

आज यह पत्रावली केम्य कोर्ट/राजस्थ लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली में आपकी सजीनामा व संपत्ति नहीं होने का प्रकटन एवं निराकरण नहीं हो सका। अतः पत्रावली न्यायालय में ही दिनांक 31-01-2022 को पेश हो।

प्रशासन गांव के सम अभियान 2021 उपखण्ड अधिकारी  
रेणी जिला अलवर

14<sup>12</sup>/<sub>21</sub>

आज यह पत्रावली मुल्वाद के माध्यम पेश हुई। वकील वादी श्री मनीष माहू (उपाध्यक्ष) नोट प्रेम द्वारा मुल्वाद खारिज हो चुका है। मुल्वाद का निराकरण हो जाने से प्रार्थना पत्र 212 RT Act का कोई कॉन्सिडर नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही होप की जाती है। पत्रावली केमल अदालत होकर सॉल्यूशन से काम की जाये। निराकरण मुल्वाद है।

प्रशासन गांव के सम अभियान 2021  
केम्य कोर्ट नाम पत्रावली का निराकरण  
उपखण्ड अधिकारी रेणी (अलवर)